न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R-5130-II/16

शंकर प्रसाद पाण्डेय तनय श्री मोतीलाल पाण्डेय, निवासी ग्राम धवैया, 291, तह0—मनगवां, पोस्ट रघुराजगढ़, जिला रीवा (म0प्र0)

————निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1— प्रद्युम्न प्रसाद तिवारी तनय श्री इन्द्रभान प्रसाद तिवारी, निवासी ग्राम खुरहा, तह0—रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म0प्र0)

2— म0प्र0 शासन

————गैरनिगरानीकर्ता

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी द्वारा आज दिनांक 10-3-16 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 ई0 विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार, तह0—रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म0प्र0) दिनांक 14/09/2012 जो राजस्व प्रकरण क्र0—5 अ—12/2011—12 में पारित

मान्यवर

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :—

1— अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14/09/2012 सर्वथा विधि विधान एवं मौके की स्थिति के विपरीत है, जो कि आवेदक भूमि नं0—32, 33, 34, 35, 36 व 37 स्थित ग्राम धवैया का भूमिस्वामी है और उसी के बगल में ग्राम खुरहा की स्थित भूमि 336, 382, 383 का अनावेदक भूमिस्वामी है, इस तरह दोनो ही पक्षकार अगल—बगल की जमीनो के सरहदी काश्तकार है, ऐसी स्थिति में विधिवत सूचना देकर ही सीमांकन की कार्यवाही करना चाहिए था ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5130–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9 –02–2017	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0एस0 सेंगर द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर किया। 2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण कमांक 5/अ–12/11–12 आदेश दिनांक 14–9–12 के विरूद्ध निगरानी पेश की गई है। अनावेदक के द्वारा भूमि नं0 336, 382, 383 के सीमांकन के लिए आवेदन पेश किया और सीमांकन करवाया, लेकिन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 129 में निर्मित नियमों का अनुसरण नहीं किया। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में यह वर्णित है कि हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन करने का अधिकार नहीं है। तहसीलदार के सीमांकन प्रकरण में संलग्न सीमांकन प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी द्वारा सीमांक दिनांक 11–6–2011 को किया गया। इन्होंने अपने शपथ पत्र में भी अपने पद एवं हल्का का वर्णन किया है, जिसकी प्रति संलग्न है। फील्डबुक, पंचनामा पटवारी द्वारा ही बनाये गये हैं। संहिता की धारा 129 में यह प्रावधान है कि– "तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लये सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्याक की या उपखण्ड या भू–खण्ड की सीमांओं का सीमांकन कर सकेगा, और उस पर सीमाचिन्ह सनिर्मित कर सकेगा, उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि सीमांकन कर सीमाचिन्ह	

तहसीलदार या अन्य नियमित राजस्व अधिकारी द्वारा ही निर्मित किये जा सकते हैं। पटवारी राजस्व अधिकारी नहीं है। इसक कारण पटवारी द्वारा किया गया सीमांकन अधिकारिता रहित है। अतः अनावेदक द्वारा कराया गया सीमांकन विधि के विपरीत है तथा निरस्त करने योग्य है।

आवेदक सरहदी काश्तकार है, लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई। अनावेदक द्वारा कराये गये सीमांकन के विरूद्ध आवेदक ने अधिनस्थ न्यायालय (नायब तहसीलदार) के समक्ष आपत्ति पेश की थी, तत्पश्चात अनावेदक के सीमांकन को निरस्त करते हुये पुनः सीमांकन का आदेश दिनांक 24–10–2011 को न्यायालय द्वारा दिया गया। अनावेदक द्वारा इसके विरूद्ध अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में निगरानी दायर की गई। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2011 के तहत कलेक्टर/अपर कलेक्टर को निगरानी की अधिकारिता समाप्त की गई है। आदेश दिनां 24–10–2011 के विरूद्ध अपर कलेक्टर ने 14–8–12 को अधिनस्थ न्यायालय (नायब तहसीलदर) को प्रकरण उभय पक्षों की सुवाई हेतु भूजा गया, जिसकी निगरानी इस माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक शंकर प्रसाद पांडे पिता मोतीलाल विरूद्ध प्रद्युम्न तिवारी के नाम से लंबित है। जसका प्रकरण कमांक 3350–दो/12 है। चूंकि सीमांकन प्रकरण की निगरानी है तथा सभी दस्तावेज संलग्न है ऐसी स्थिति में गुणदोष के आधार पर निराकरणकिया जाता है।

अनावेदक द्वारा कराये गये सीमांकन 11–6–11 के फील्डबुक में स्पष्ट रूप से वर्णित है की आवेदक

की भूमि नं0 37 जो एक मेड है और धवैया गाम दक्षिण छोर की अंतिम सीमा में है। तीन पेड आम जो कम से कम 30–35 वर्ष से अधिक के लगाए गये है। जो मोतीलाल पाण्डेय द्वारा लगाये गये है तथा 40–45 वर्ष से अधिक का कब्जा भी इनका है। यह लेख अपने आप में साबित करता है की आवेदक द्वारा कराया गया सीमांकन सही और विधि के अनुरूप है और अनावेदक द्वारा कराया गया सीमांकन सही और विधि के अनुरूप है और अनावेदक द्वारा कराया गया सीमांकन गलत और निरस्त करने योग्य है।

3/ आवेदक ने अपनी भूमि नं0 32, 33, 34, 35, 36, 37 का विधिपूर्व दोनों ग्राम धवैया और खरहा के पटवारी और राजस्व निरीक्षक की टीम गठित कर सीमांकन 2008 राजस्व प्रकरण कमांक 31/अ–12/2007–08 को कराया जिसकी पुष्टि निर्विवाद बिना आपत्ति की दिनांक 23–5–2008 को हुई। फिर आवेदक ने अपने अपनी इन्ही भूमियों का सीमांकन विधिपूर्वक टीम गढित करवा कर 2014 में प्रकरण कमांक की श्रेणी अ–12 में करवाया, जिसकी पुष्टि दिनांक 15–4–2014 को बिना आपत्ति विवाद के हो गई। इस आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं होने से वह अंतिम हो गया।

अधीनस्थ न्यायालय में अपर कलेक्टर के प्रत्यावर्तन आदेश दिांक 14–8–12 का पालन अनावेदक के सीमांकन के अंतर्गत नहीं किया गया और सीमांकन की पुष्टि आदेश दिनांक 11–6–11 को दिया गया जो कि अधिकार विहीन था क्योंकि इसे तहसीलदार रायपुर कर्चुचिलयान ने दिनांक 24–10–11 को निरस्त कर

दिया था। इसके बाद प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय के समक्ष गया तत्पश्चात पुनः वापस तहसील को प्राप्त हुआ, लेकिन पुनः सीमांकन की कोई कार्यवाही नहीं की गई और दिनांक 14–9–12 को अदेश पारित किया गया जो कि कायम रखने योग्य नहीं है। आवेदक ने अपने भूमियों को दो बार 2008 और 2014 सीमांकन करवा चुका है जो आपस में मेल करती है और विधि एवं तर्कसंगत है तथा मौके में अपनी भूमि पर *काबिज है। फलतः निगरानी को बल मिलता है।*

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 14–9–12 निरस्त किया जाता है तथा इसके अग्रिम धारा 250 की कार्यवाही भी निरस्त की जाती है। प्रकरण नायब तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा को यह निर्देश दिये जाते हैं प्रकरण में सीमांकन दल गठित कर आवेदक एवं अनावेदक दोनों को विधिवत सूचना देने के उपरांत उनकी उपस्थिति में दोनों पक्षों की भूमि का एकसाथ विधिव सीमांकन करें। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य